न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 48/2026

01. बद्रीप्रसाद पुत्र मनफूलराम जाति मेघवाल निवासी चक 17 केवाईडी तहः खाजूवाला
....प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । .....अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय **दिनांक :–19.03.26**

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थी व मेरे सहिस्सेदारान के नाम से चक 18 केवाईडी मु0नं0 97/30 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3225 हैक्टर मय खाला कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा उक्त भूमि मुझ प्रार्थी ने जरिये दानपत्र से प्राप्त की है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे ऑनलाईन दर्ज करते समय बद्रीराम दर्ज हो गया जबकि मुझ प्रार्थी का नाम बद्रीप्रसाद है। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत पेष कर निवेदन है कि उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में मुझ प्रार्थी का नाम ब्रदीराम की जगह बद्रीप्रसाद कर दुरूस्त किये जाने का आदेष फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, आधारकार्ड, गिफ्टडीड की प्रति प्रस्तुत की। उक्त गिफ्टडीड में प्रार्थी का नाम बद्रीप्रसाद ही अंकित है। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 18 केवाईडी मु0नं0 97/30 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3225 हैक्टर मय खाला कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी/प्रार्थी का नाम बद्रीराम की जगह बद्रीप्रसाद संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच बद्रीराम नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का बद्रीराम नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम बद्रीराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 19.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)